रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1978/माघ 14, 1899
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1978/MAGHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी 1978

संकल्प

सं. 1-12013 (1)/77-प्लांट (ए).—लोक लेखा समिति (1977-78) ने "सीमा शुल्क आय" के बारे में अपनी 15वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ भारत तथा विदेशों में, विशेष रूप से लंदन में चाय के विपणन की विद्यमान प्रणाली के सम्बन्ध में विचार किया है और उसके बारे में अपनी सिफारिशें की हैं। विपणन सम्बन्धी समग्र कार्यकलापों पर, जिसको इस समय अपनाया जा रहा है, ऊपर बताई गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ध्यान पूर्वक फिर से विचार करना होगा। इन पर तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसके विचारार्थ विषय निम्नांकित हैं :

(1) सीधी बिक्रियों, परोक्षण बिक्रियों, नीलामी बिक्रियों आदि के जरिए भारत में चाय के विपणन की विद्यमान व्यवसथाओं पर विचार करना तथा यह सिफारिश करना कि चाय के विपणन के सम्बन्ध में सबसे बढ़िया ऐसी व्यवस्था कौनसी होगी जिससे स्वदेशी बाजार में उचित इकाई मूल्य मिल सके और साथ ही निर्यात बाजार में उच्चतम संभावित मूल्य मिल सके।

(2) ऐसी व्यवस्थाएं सुझाना जिनसे घरेलू बाजारों में कपट-पूर्ण बिक्रियों तथा निर्यातों में कम मूल्य के बीजक बनाने के अवसरों को दूर किया जा सके।

(3) भारतीय चाय के विपणन में लन्दन नीलामियों की भूमिका पर विचार करना तथा इस पर विचार करना कि क्या सर्वोत्तम हल यह होगा कि केवल भारत में चाय की नीलामियों की अनुमति दी जाये।

(4) इस पर विचार करना कि क्या भारत में चाय की नीलामियों की विद्यमान प्रणाली उत्पादकों के लिए लाभ-प्रद है या नहीं और क्या वह उपभोक्ता के लिए उचित है अथवा नहीं। यह भी विचार करना कि भारत में नीलामी प्रणाली जारी रखी जानी चाहिए या नहीं और अगर रखी जानी चाहिए तो किस ढंग से और इस नीलामी प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सरकार को कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए।

(5) बल्क में प्राथमिक रूप में चाय का निर्यात करने के स्थान पर, पैक्ट चाय, जाय बैग्स, इंस्टैन्ट चाय आदि के रूप में चाय को और अधिक, मूल्य का बनाकर उसका निर्यात करने की विद्यमान व्यवस्थाओं पर विचार करना। इस पर भी विचार करना तथा उसके बारे में सिफारिश करना कि बल्क में प्राथमिक चाय के स्थान पर अधिक मूल्य वर्धित रूपों में चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिएं।

(6) इस पर विचार करना कि क्या चाय सम्बन्धी विपणन व्यवस्थाओं में छोटे उत्पादकों द्वारा चाय के विपणन के लिए कोई विशेष उपबन्ध या प्रबन्ध होने चाहिएं।

(7) इस पर विचार करना कि क्या फुटकर स्तर पर चाय के विपणन की विद्यमान व्यवस्थाओं से उपभोक्ता को उचित कीमत पर चाय मिल जाती है

(8) कोई अन्य पहलू जिसको समिति इस जांच के व्यापक उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे।

2. इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :—

(क) अध्यक्ष : श्री प्रकाश टंडन, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल आफ एम्पलाइड इकोनोमिक्स रिसर्च, नई दिल्ली।

(ख) सदस्य : (1— श्री. बी. सी. घोष, अध्यक्ष, सिलिगुड़ी टी आक्शन कमेटी, सिलिगुड़ी।

(2) श्री बी. के. दत्त, उपाध्यक्ष, टाटा पिनले बंगलौर, बंगलौर-560022।

(3) श्री मुमताज अहमद, अध्यक्ष, इंडियन टी एसोसिएशन, कलकत्ता।

(4) डा. एन. सी. बी. नाथ, सेल इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, के. गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

(5) श्री प्रभाकरन—अध्यक्ष, यू. पी. ए. एस. आई., कून्नूर।

(6) श्री. पी. एल. पेरूमल, नीलमलाई प्लांटर्स वरकर्स यूनियन, कून्नूर।

(ग) सदस्य सचिव : अध्यक्ष, चाय बोर्ड

3. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा लेकिन समिति की बैठक देश में किसी भी स्थान पर हो सकती है।

4. समिति, सरकार को अपनी रिपोर्ट यथा शीघ्र और हर हालत में अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

टी. वी. एंटनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd February, 1978

RESOLUTION

No. I-12013 (1)/77-Plant (A).—The Public Accounts Committee (1977-78) in its 15th Report on "Customs Receipts" has interalia considered and given its recommendations on the present system of marketing of tea in India and abroad, particularly in London. The entire range of marketing activities, as at present being followed, has to be carefully reconsidered in the light of the recommendations made in the above mentioned Report. To consider these and other related matters, the Government of India have constituted a Committee of Experts with the following terms of reference :

(i) To consider the present arrangements of marketing of tea in India by way of direct sales, consignment sales, auction sales etc. and to recommend what would be the best arrangement for marketing of tea with a view to ensure a fair unit value realisation in the domestic market as well as the highest possible realisation in the export market.

(ii) To suggest arrangements which would eliminate the chances of collusive salesin domestic markets as well as under-invoicing in exports.

(iii) To consider the role of the London auctions in the marketing of Indian tea and to examine as to whether the best solution would lie in allowing auctions of tea only in India.

(iv) To consider as to whether the present system of tea auctions in India is advantageous to the producer and fair to the consumer or not. To also consider as to whether the auction system in India should be continued and if so, in what manner and the methodology Government should adopt to keep a supervisory watch on the auction system.

(v) To consider the present arrangements for shifting export of tea from the primary form as bulk tea to more value added forms like packet tea, tea bags, instant tea, etc. To also consider and recommend what measures should be undertaken to accelerate the shift from export of primary tea in bulk form to export in more value added forms.

(vi) To consider whether in the marketing arrangements for tea, there should be any special provisions or arrangement for marketing of tea by small producers.

(vii) To consider as to whether the present arrangements for marketing of tea at the retail level enables the consumer to get tea at a reasonable price.

(viii) Any other aspect which in the Committee's opinion is germane to the broad purpose of this enquiry.

2. The Committee shall consist of the following members :—

(a) Chairman : Shri Prakash Tandon, Director General, National Council of Applied Economic Research, New Delhi.

(b) Members : (i) Shri B. C. Ghose, Chairman, Siliguri Tea Auction Committee, Siliguri.

(ii) Shri B. K. Dutt, Vice-Chairman. Tata Finaly, Bangalore-560022,

(iii) Shri Mumtaz Ahmed, Chairman, Indian Tea Association, Calcutta.

(iv) Dr. N. C. B. Nath, SAIL India, Hindustan Times House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

(v) Shri Prabhakaran, President, UPASI, Coonoor.

(vi) Shri P. L. Perumal, Neelamalai Planters' Workers Union, Coonoor.

(c) Member Secretary : Chairman, Tea Board.

3. The Committee's Headquarters will be at Delhi but the Committee may meet at any other place in the country.

4. The Committee shall submit its report to the Government as early as possible and in any case not later than 6 months from the date of its appointment.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

T. V. ANTONY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978